रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 292] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 6, 1973/अग्रहायण 15, 1895
No. 292] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 6, 1973/AGRAHAYANA 15, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December 1973

No. F.5(11)-W&M/73.—Subscriptions for the issues of further tranches of 4¾ per cent. Loan, 1081, 5¼ per cent. Loan, 1987 and 5¼ per cent. Loan, 2003 will be received from the 21st of December, 1973, in the form of cash. The issues will be closed without notice as soon as it appears that the total subscriptions amount approximately to Rs. 115 crores (Nominal) and in any case not later than the close of business on the 24th of December, 1973. Government reserve the right to retain subscriptions received upto 10 per cent in excess of the sum of Rs. 115 crores.

2. If the total subscriptions to the aforesaid loans exceed the sum of Rs. 126.50 crores (Nominal), partial allotment will be made in respect of the loans on a proportionate basis. If partial allotment is made, the excess subscriptions will be refunded as soon as possible after allotment. No interest will be paid on the amounts so refunded.

3. 4¾ PER CENT LOAN, 1981 (SECOND ISSUE) ISSUED AT RS. 99.75 PER CENT AND REDEEMABLE AT PAR ON THE 21ST JULY, 1981.

(i) **Date of repayment.**—The loan will be repaid at par on the 21st July, 1981.

(ii) **Issue Price.**—The issue price will be Rs. 99.75 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) **Interest.**—The Loan will bear interest at the rate of 4¾ per cent per annum from 21st December, 1973. Interest for the period 21st December, 1973 to 20th January, 1974 inclusive will be paid on the 21st January, 1974, and thereafter payment of interest will be made half yearly on 21st July and 21st January. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 7 and 8 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

4. 5½ PER CENT LOAN, 1987 (SECOND ISSUE) ISSUED AT RS. 100.00 PER CENT AND REDEEMABLE AT PAR ON THE 21ST JULY, 1987.

(i) **Date of repayment.**—The Loan will be repaid at par on the 21st July, 1987.

(ii) **Issue Price.**—The issue price will be Rs. 100.00 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) **Interest.** The Loan will bear interest at the rate of 5½ per cent per annum from 21st of December, 1973. Interest for the period 21st December, 1973 to 20th January, 1974 inclusive will be paid on the 21st January, 1974 and thereafter payment of interest will be made half yearly on 21st July and 21st January. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 7 and 8 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

5. 5¾ PER CENT LOAN, 2003 (THIRD ISSUE) ISSUED AT RS. 100.00 PER CENT AND REDEEMABLE AT PAR ON THE 12TH MAY, 2003.

(i) **Date of repayment.**—The Loan will be repaid at par on the 12th May, 2003.

(ii) **Issue Price.**—The issue price will be Rs. 100.00 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) **Interest.**—The Loan will bear interest at the rate of 5¾ per cent per annum from the 21st December, 1973. Interest for the period 21st December, 1973 to 11th May, 1974 inclusive will be paid on 12th May, 1974 and thereafter payment of interest will be made half yearly on 12th November, and 12th May. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 7 and 8 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

Supplementary Provisions

6. **Place of payment of interest.**—Interest on the Loans will be paid at the Public Debt Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna, at any Treasury or Sub-treasury elsewhere in India, except the State of Jammu & Kashmir, and at the Central Government's Pay and Accounts Offices at Jammu & Srinagar.

7. Refunds of tax deducted at the time of payment of interest (at rate prescribed by the annual Finance Acts) will be obtainable by holders of the Loans who are not liable to tax or who are liable to tax at rates lower than the rate at which tax was deducted.

A holder who is not liable to tax or who is liable to tax at a rate lower than the prescribed rate, can obtain on application, a certificate from the Income-tax Officer of the district, authorising payment of interest to him without deduction of tax or with deduction of tax at such lower rate as may be applicable to the holder.

8. Interest on all the Loans now issued together with interest on other previous Government securities and income from other approved investments will be exempt from income-tax subject to a limit of Rs. 3,000 per annum and subject to the other provisions of Section 80L of the Income-tax Act, 1961.

9. The value of investments in the Loans now issued together with the value of other previous investments in Government securities and the other investments specified in Section 5 of the Wealth Tax Act will also be exempt from the Wealth Tax upto Rs. 1,50,000.

10. The securities will be issued in the form of—

(i) Stock, the applicants for which will be given Stock Certificates, or

(ii) Promissory Notes.

If no preference is stated by the applicants, the securities will be issued in the form of Promissory Notes.

11. **Applications for the Loans.**—Applications for the Loans must be for Rs. 100 or a multiple of that sum.

12. Applications will be received at—

(a) Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bombay (Fort and Byculla), Calcutta, Hyderabad, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna;

(b) Branches of the subsidiary banks of the State Bank of India conducting Government treasury work except at Hyderabad; and

(c) Branches of the State Bank of India at other places in India.

13. Applications may be in the form attached hereto or in any other form which states clearly the amount and description of the securities required, the full name and address of the applicant and the office at which he desires the interest to be paid.

14. Applications should be accompanied by the necessary payment in the form of cash or cheque. Cheques tendered at the office of the Reserve Bank of India, the State Bank of India or its subsidiary banks should be drawn in favour of the Bank concerned.

15. Brokerage will be paid at the rate of 6 paise per Rs. 100 (Nominal) to recognised banks and brokers on allotments made in respect of applications for the Loans tendered by them and bearing their stamp.

The claim for payment of brokerage should be preferred at the Paying Offices within six months from the date of floatation of the loans.

By order of the President,

B. MAITHREYAN, Jt. Secy.

FORM OF APPLICATION

I/We
[Full name(s) in Block letters]

..... herewith tender *Cash Rs. ——————
Cheque for Rs. and request that securities of 4¾ per cent. Loan, 1981 (Second Issue)/5¼ per cent Loan 1987 (Second Issue)*/5¾ per cent. Loan, 2003 (Third Issue)* of the nominal value of Rs.....may be issued to me/us in the form of Promissory Note(s) +. Interest to be payable
Stock Certificate
at.....

Signature
Name in full
(Block letters)
Address
.....
.....
.....

Dated the of December, 1973.

Note.—(1) Separate application should be made for each Loan and each form of scrip (Stock Certificate or Promissory Note) of the new Loan required.

(2) If the applicant's signature is by thumb mark it should be witnessed by two persons. The full names, occupations and addresses of the witnesses should be appended to their signatures.

(3) If the application is made in the name of a registered body, the undernoted documents, if not already registered at the Public Debt Office, should be enclosed with the investment application:—

(i) Certificate of Registration/Incorporation.

(ii) Memorandum and Articles of Association or certified copies of the Rules and Regulations/Bye-laws of the body/company.

(iii) Certified copy of resolution in favour of the person authorised to deal in Government securities on behalf of the body/company.

*Delete what is not required.

+ Promissory Notes will be issued in denominations of Rs. 100, Rs. 200, Rs. 500, Rs. 1,000, Rs. 5,000, Rs. 10,000, Rs. 25,000, Rs. 50,000, and Rs. 100,000. State here the particular denomination required.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1973

सं० एफ० 5(11) डब्ल्यू एंण्ड एम०/73.—$4\frac{3}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण, 1981, $5\frac{1}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 1987 और $5\frac{3}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 2003 की अग्रेतर किस्तों के निर्गमों के लिए 21 दिसम्बर, 1973 से नकदी के रूप में अभिदान लिए जायेंगे। ज्यों ही यह जान पड़ेगा कि अभिदानों की कुल रकम लगभग 115 करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) हो चुकी है, त्यों ही निर्गम बिना किसी सूचना के, बंद कर दिये जाएंगे और हर हालत में ये निर्गम 24 दिसम्बर 1973 को काम बंद होने के समय बंद कर दिये जाएंगे। सरकार को 115 करोड़ रुपये की रकम से ऊपर 10 प्रतिशत तक अभिदान की रकम रख लेने का अधिकार होगा।

2. यदि उपर्युक्त ऋणों के अभिदानों की कुल रकम 126.50 करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) से बढ़ जाये, तो ऋणों का आंशिक आबंटन आनुपातिक आधार पर कर दिया जायेगा। यदि आंशिक आबंटन किया जायगा तो अतिरिक्त अभिदान की रकमों को आबंटन के बाद शीघ्रातिशीघ्र वापस कर दिया जायगा। इस प्रकार वापस की गयी रकमों पर कोई ब्याज नहीं दिया जायगा।

3. 99.75 रुपये प्रतिशत पर जारी किया गया और 21 जुलाई 1891 को सम-मूल्य पर चुकाया जाने वाला $4\frac{3}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण 1891 (दूसरा निर्गम)

(1) **वापसी की तारीख.**—यह ऋण 21 जुलाई 1981 को सम-मूल्य पर चुका दिया जाएगा।

(2) **निर्गम मूल्य.**—निर्गम मूल्य, आवेदित ऋण के प्रत्येक 99.75 रुपये (अंकित मूल्य) के लिए सौ रुपये होगा।

(3) **ब्याज.**—इस ऋण पर 21 दिसम्बर 1973 से $4\frac{3}{4}$ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जायगा। 21 दिसम्बर 1973 से 20 जनवरी 1974 की अवधि का, जिसमें दोनों दिन शामिल हैं, ब्याज 21 जनवरी 1974 को दिया जायगा तथा इसके बाद ब्याज की रकम हर साल 21 जुलाई तथा 21 जनवरी को छमाही किस्तों में अदा की जायगी। नीचे दिए गए पैरा 7 और 8 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ब्याज की रकम पर आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत आयकर लगेगा।

4. 100.00 रुपये प्रतिशत पर जारी किया गया और 21 जुलाई 1987 को सम-मूल्य पर चुकाया जाने वाला $5\frac{1}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण 1897 (दूसरा निर्गम)

(1) **वापसी की तारीख.**—यह ऋण 21 जुलाई, 1987 को सम-मूल्य पर चुका दिया जायगा।

(2) **निर्गम मूल्य.**—निर्गम मूल्य, आवेदित ऋण के प्रत्येक सौ रुपये (अंकित मूल्य) के लिए 100.00 रुपया होगा।

(3) **ब्याज.**—इस ऋण पर 21 दिसम्बर, 1973 से $5\frac{1}{4}$ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जायगा। 21 दिसम्बर 1973 से 20 जनवरी, 1974 तक की अवधि, जिसमें दोनों दिन शामिल

हैं, का ब्याज 21 जनवरी, 1974 को अदा किया जायगा और उसके बाद ब्याज की रकम हर साल, 21 जुलाई और 21 जनवरी को छमाही किस्तों में अदा की जायगी । नीचे दिए गए पैरा 7 और 8 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ब्याज की रकम पर आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत आयकर लगेगा ।

5. 100.00 रुपये प्रतिशत पर जारी किया गया और 12 मई, 2003 को सम-मूल्य पर चुकाया जाने वाला $5\frac{3}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण 2003 (तीसरा निर्गम)

(1) **वापसी की तारीख**.—यह ऋण 12 मई, 2003 को सम-मूल्य पर चुका दिया जायगा ।

(2) **निर्गम मूल्य**.—निर्गम मूल्य, आवेदित ऋण के प्रत्येक 100 रुपये (अंकित मूल्य) के लिए 100 रुपया होगा ।

(3) **ब्याज**.—इस ऋण पर 21 दिसम्बर 1973 से $5\frac{3}{4}$ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जायगा । 21 दिसम्बर 1973 से 11 मई 1974 तक की अवधि का जिसमें दोनों दिन शामिल हैं, ब्याज 12 मई 1974 को अदा किया जायगा और उसके बाद ब्याज की रकम हर साल 12 नवम्बर और 12 मई को छमाही किस्तों में अदा की जायगी। नीचे दिए गए पैरा 7 और 8 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ब्याज की रकम पर आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत आयकर लगेगा ।

अनुपूरक उपबन्ध

6. **ब्याज की अदायगी का स्थान**.—इस ऋण का ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास नागपुर, नयी दिल्ली और पटना में स्थित सरकारी ऋण कार्यालयों में जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत में अन्यत्र किसी राजकोष या उपराजकोष में तथा जम्मू और श्री नगर में स्थित केन्द्रीय सरकार के वेतन और लेखा कार्यालयों में अदा किया जाएगा ।

7. ब्याज की अदायगी के समय (वार्षिक वित्त अधिनियमों द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार) काटी गई कर की रकम की वापसी, ऋण देने वाले वे व्यक्ति ले सकेंगे जिन पर कर न लगता हो या जिनपर उस दर से कम दर पर कर लगता हो, जिसके अनुसार कर काटा गया होगा ।

ऋण देने वाला वह व्यक्ति जिस पर कर न लगता हो अथवा जिस पर निर्धारित दर से कम दर के अनुसार कर लगता हो, अपने जिले के आयकर अधिकारी को आवेदनपत्र देकर उससे ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकेगा जिसके अनुसार उसे ब्याज की रकम कर की रकम काटे बिना, या उस कम दर के अनुसार कर की रकम काटने के बाद मिल सकेगी जो उस पर लागू होती हो ।

8. अन्य पिछली सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज सहित इस समय जारी किए गए सभी ऋणों पर मिलने वाले ब्याज पर तथा अन्य अनुमोदित निवेशों से होने वाली आय पर आयकर नहीं लगेगा किन्तु इस तरह की कर-मुक्त आय की अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष 3000 रुपया होगी और इस संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (ठ) के उपबन्ध भी लागू होंगे ।

9. सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए पिछले निवेशों के मूल्य सहित इस समय में जारी किए गए ऋणों में किए जाने वाले निवेशों का मूल्य और धन कर अधिनियम की धारा 5 में उल्लिखित अन्य निवेश भी 1,50,000 रुपये तक धन कर से मुक्त रहेंगे ।

10. ये प्रतिभूतियां निम्नलिखित रूपों में जारी की जाएंगी :—

(i) स्टाक, जिसके लिए आवेदन करने वालों को स्टाक-प्रमाण पत्र दिए जायेंगे, अथवा

(ii) वचन-पत्र (प्रामिसरी नोट)

यदि आवेदक अपनी पसन्द जाहिर न करेंगे तो प्रतिभूतियां वचन-पत्रों के रूप में जारी की जाएंगी ।

11. ऋणों के लिए आवेदन-पत्र -ऋण के संबंध में आवेदन-पत्र अनिवार्यतः सौ रुपये या उसके गुणकों के लिए दिए जाने चाहिएं ।

12. ऋण के लिए आवेदन-पत्र निम्नलिखित स्थान पर लिये जाएंगें।—

(क) भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई (फोर्ट और भायखला), कलकत्ता, हैदराबाद , कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली और पटना स्थित कार्यालय ;

(ख) हैदराबाद शाखा को छोड़कर, भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों की वे शाखाएं जो सरकारी राजकोष कार्य करती हों, और

(ग) भारत में अन्य स्थानों पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं ।

13. आवेदन इस अधिसूचना के साथ संलग्न प्रपत्र (फार्म) के रूप में हो या किसी ऐसे अन्य रूप में हो जिसमें मांगी गयी प्रतिभूतियों की रकम और उनका विवरण, आवेदक का पूरा नाम और पता तथा उस कार्यालय का नाम स्पष्ट रूप से दिया गया हो, जहां से वह ब्याज की रकम लेना चाहता हो ।

14. आवेदन-पत्रों के साथ आवश्यक नकद रकम या चेक भेजे जाने चाहिएं भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहायक बैंकों में दिये जाने वाले चैक सम्बद्ध बैंक के नाम होने चाहिएं ।

15. मान्यता प्राप्त बैंकों और दलालों को, ऋणों के उन आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में, जो उनके द्वारा पेश किए जाएंगे और जिन पर उनकी मुहर होगी, किये गये आबंटनों पर 6 पैसे प्रति 100 रुपये (अंकित मूल्य) की दर से दलाली दी जायेगी ।

दलाली की अदायगी का दावा, ऋण जारी किए जाने की तारीख से छः महीने के अन्दर भुगतान कार्यालयों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

राष्ट्रपति के आदेश से,

बी० मैत्रेयन, संयुक्त सचिव ।

आवेदन-पत्र

मैं/हम———————————— ————————————

[पूरा (रे) नाम, मोटे अक्षरों में]

इसके साथ————————————————————————

नकद†————————————रुपये का चैक† भेजता हूं/भेजते हैं और अनुरोध करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें वचन-पत्र (बों)/स्टाक प्रमाण पत्र के रूप में 4¾ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 1971† (दूसरी निर्गम)/5½ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 20[illegible]3 (तीसरा निर्गम) की——— रुपये के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियां जारी की जायं। जिनका ब्याज————पर देय हो।

हस्ताक्षर————————————

पूरा नाम————————————

(साफ अक्षरों में)

दिनांक————————दिसम्बर, 1973

पता————————————

————————————

टिप्पणी.— 1. प्रत्येक ऋण, और अपेक्षित प्रत्येक ऋण के प्रत्येक प्रतिभूति-पत्र (स्टाक पत्र या वचन-पत्र) के लिये अलग-अलग आवेदन पत्र दिये जाने चाहियें।

2. यदि आवेदक ने हस्ताक्षर के रूप में अंगूठे का निशान लगाया हो, तो उस पर दो गवाहों की तसदीक होनी चाहिए। गवाहों के हस्ताक्षरों के साथ, उनके पूरे नाम, व्यवसाय और पते दिये जाने चाहियें।

3. यदि आवेदन-पत्र किसी पंजीकृत (रजिस्टर्ड) संस्था के नाम से दिया जाए तो निवेश सम्बन्धी आवेदन-पत्र के साथ नीचे लिखे दस्तावेज, यदि वे सरकारी ऋण कार्यालय में पहले से पंजीकृत न हों, लगा दिये जाने चाहिएं :—

(1) पंजीकरण/निगमन का प्रमाण पत्र।

(2) निकाय/कम्पनी की बहिर्नियमावली और अंतर्नियमावली या नियमों तथा विनियमों/उप विधियों की प्रमाणित प्रति।

(3) निकाय/कम्पनी की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों का कार-बार करने के लिए प्राधिकृत किये गये व्यक्ति के हक में जारी किये गये संकल्प की प्रमाणित प्रति।

†जो आवश्यक न हो उसे काट दिया जाय।

वचन पत्र 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये और 1,00,000 रुपये के मूल्य-वर्गों के जारी किये जाएंगे। यहां पर उन खास मूल्य वर्गों का उल्लेख किया जाए, जिनकी आवश्यकता हो।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973